

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 6, 2016/पौष 16, 1937

No. 9]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 6, 2016/ PAUSA 16, 1937

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 1 जनवरी, 2016

जम्मू में बोर्ड के स्थानीय कार्यालय की स्थापना संबंधी अधिसूचना

सं. सेबी/ एल. ए. डी. - एन.आर. ओ./ जी. एन./ 2015-16/ 028.—भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड ने नई दिल्ली में स्थित अपने उत्तरी प्रादेशिक कार्यालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन जम्मू में अपना स्थानीय कार्यालय स्थापित कर लिया है। इस प्रकार स्थापित स्थानीय कार्यालय निवेशक (विनिधानकर्ता) संरक्षण के विनियामक पहलू, निवेशक (विनिधानकर्ता) शिकायतें दूर किए जाने को सुकर बनाना, वित्तीय तथा निवेशक (विनिधानकर्ता) शिक्षण और ऐसे अन्य कृत्य जो समय-समय पर नियत किए जाएं देखेगा, और इसकी भूमिका तथा जिम्मेदारी का विस्तार जम्मू और कश्मीर राज्य की क्षेत्रीय अधिकारिता के अधीन आने वाले क्षेत्रों तक होगा।

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./69 जेड बी/304]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 1st January, 2016

NOTIFICATION**Notification regarding establishment of Local Office of the Board at Jammu**

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/028.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 3 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board has established its Local Office at Jammu under the administrative control of its Northern Regional Office at New Delhi. The Local Office so established shall look after the regulatory aspects of investor protection, facilitating redressal of investor grievances, financial and investor education and such other functions as may be assigned from time to time, and its role and responsibility shall extend to the areas falling under the territorial jurisdiction of the State of Jammu & Kashmir.

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT. III/4/Exty./69ZB/304]